



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 593 राँची, शुक्रवार,

13 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2024

संख्या-16/विविध-06/2019-5445--राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

(i) विभागीय अधिसूचना सं०-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) की कंडिका-01 निम्न प्रावधान है:-

"पद का नाम एवं मानदेय की राशि सहायक पुलिस। सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से देय होगा। इस राशि के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"पद का नाम एवं मानदेय की राशि सहायक पुलिस। सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एक मुश्त संविदा राशि 13,000/- (तेरह हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4000/- (चार हजार रुपये) प्रतिवर्ष अनुमान्य होगा। उपरोक्त राशि के अलावे किसी अन्य प्रकार का कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं होगा ।"

(ii) विभागीय अधिसूचना सं०-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) के कंडिका-10 (क) के वाक्यांश "विशेष परिस्थिति में कुल सेवा अवधि 07 (सात) वर्ष से अधिक नहीं होगी" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विशेष परिस्थिति में कुल सेवा अवधि 08 (आठ) वर्ष से अधिक नहीं होगी"

(iii) विभागीय अधिसूचना सं०-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) के कंडिका-10 (घ) में निम्न प्रावधान :-

"प्रत्येक सहायक पुलिस का 50 हजार रुपये का मेडिकलेम एवं 02 लाख रुपये का दुर्घटना/जीवन बीमा कराया जायेगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यह बीमा कार्य के दौरान घटना के घटित होने पर देय होगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"प्रत्येक सहायक पुलिस का 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का मेडिकलेम एवं 4,00,000/- (चार लाख रुपये) का दुर्घटना/जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। यह बीमा कार्य के दौरान घटना के घटित होने पर देय होगा।"

पूर्व में जिन मामलों में मेडिकलेम एवं दुर्घटना/जीवन बीमा का भुगतान बीमा नहीं होने अथवा किसी कारणवश नहीं किया जा सका है। वैसे सभी मामलों की समीक्षा महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा करते हुए पर्याप्त साक्ष्य / विपत्र के आधार पर मेडिकलेम एवं दुर्घटना/जीवन बीमा हेतु पूर्व में अनुमान्य राशि का भुगतान एक बारगी व्यवस्था के तहत पूर्व निर्धारित दर पर संविदा मद से किया जा सकेगा।

(iv) विभागीय अधिसूचना संख्या-1169, दिनांक-27.02.2017 (यथा संशोधित) में कंडिका-10 में उप कंडिका-(ज) को निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:-

कंडिका-10 (ज) सहायक पुलिसकर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिसकर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
